भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा औद्योगिक घरानों में निवेश

*198. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार भारतीय युनिट ट्रस्ट ने किन-किन औद्योगिक घरानों में कितनी-कितनी राशि का निवेश किया है;

(ख) प्रत्येक निवेश में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की धारिता की प्रतिशतता कितनी-कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा किये गये कुल निवेश के संदर्भ में देश की दस शीर्षस्थ कंपनियों का कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) निजी औद्योगिक घरानों में निवेश करने हेतु भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा क्या मानदंड अपनाया गया है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में 1900 से अधिक कंपनियों में 48, 445 करोड़ रुपये का निवेश किया है। प्रथम 10 निजी औद्योगिक घरानों के नाम जिनमें भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने निवेश किया है और 31 मार्च 1996 की यथा स्थिति अनुसार निवेश की प्रमात्रा निम्नानुसार है:—

औद्योगिक घराना	31.3.96 की यथा स्थिति अनुसार निवेश (करोड़ रुपए)
1. टाटा	2,980 (6.15)
2. बिरला (एवी. + बीके)	3,702 (7.64)
3. रिलाएंस	2,338 (4.83)
4. थापर	394 (0.81)
5. सिंहानियां	223 (0.46)
6. लार्सेन एंड टूब्रो	408 (0.84)
7. मोदी	106 (0.22)
8. राहुल बजाज	191 (0.39)
9. मफतलाल (ए)	100 (0.21)
10. एम.ए. चिदम्बरम	27 (0.06)

कोष्ठकों में आंकड़े 1900 से अधिक कंपनियों में 48,445 करोड़ रुपये के कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान 10 शीर्षस्थ कम्पनियों (यू टी आई के पोर्टफोलियो में) में भारतीय यूनिट ट्रस्ट का निवेश विवरण में दिया जा रहा है (नीचे देखिए)।

(घ) यू.टी.आई. निवेश निर्णय यू.टी.आई. के न्यासी बोर्ड द्वारा यू.टी.आई. विनियमों और न्यासी बोर्ड द्वारा स्थापित ऋण लिखित विशिष्ट मानकों के अन्तर्गत यथा निर्धारित प्रकटीकरण मानदंडों के अधीन होते हैं। यू.टी.आई. स्कीम के अन्तर्गत किसी भी कंपनी की प्रतिभूतियों (रक्षित डिवेंचर को छोड़कर) में न्यास का निवेश स्कीम की निधियों के 5 प्रतिशत से अधिक या किसी कम्पनी द्वारा निर्गमित ऐसी प्रतिभूतियों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यू.टी.आई. बोर्ड ने न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग, अधिकतम दीर्घावधि ऋण इक्विटी अनुपात के साथ न्यूनतम ऋण सेवा कवर, ब्याज कवर, चालू अनुपात आदि जैसे आंतरिक गुणवत्ता मानक भी निर्धारित किए हैं।

विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

कंपनी	30.6.94	कंपनी	30.6.95	कंपनी	31.3.96
एम.टी.एन.एल.	3,677,67	एम.टी.एन.एल.	3,433,95	एम.टी.एन.एल.	3,213,05
आई.सी.आई.सी.आई.	1,670.08	रिलायंस इंड.	2,184.18	रिलायंस इंड.	2,204.22
रिलायंस इंड.	1,336,26				
एस.ए.आई.एल.	1,144,31	आई.सी.आई.सी.आई.	1,876.67	आई.सी.आई.सी.आई.	1,892.72
एच.पी.सी.एल.	1,025.57	एस.ए.आई.एल.	1,153.39	एस.ए.आई.एल.	1,143.19
ग्रासिम	1,012,42	ग्रासिम	1,100,22	टिस्को	1,112,23
टिस्को	997,51	टिस्को	1,091.17	एच.पी.सी.एल.	1,080.72

कंपनी	30.6.94	कंपनी	30.6.95	कंपनी	31.3.96
आई.डी.बी.आइ.	906,97	एच.पी.सी.एल.	1,083.50	ग्रासिम	1,073,75
आई.एफ.सी.आई.	662.97	आई.डी.बी.आई.	789.98	आई.डी.बी.आई.	765,32
टेल्को	655.07	टेल्को	719.55	टाटा कैम	692.22
		टाटा कैम	679.41	टैल्को	659.43

Proposal to allow foreign airline operators to enter the domestic market

*199. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether foreign airlines have shown interest in entering domestic market;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the existing private airlines operating in the country are having collaboration with some foreign airlines;

(d) whether such a step is indirectly entering into the domestic market; and

(e) if so, the reaction of Government on the functioning of private airlines?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) and (b) As per Article 7 of Chicago Convention member States are prevented from seeking and granting any exclusive right to another State or its airline for taking on its territory, traffic destined for another point in its territory.

(c) M/s Jet Airways (India) Ltd. is the only scheduled private airline with 20% equity by M/s Gulf Air and 20% by M/s Kuwait Airways.

(d) and (e) As per the guidelines, foreign equity participation is permitted in the Air Transport Services, upto a ceiling of 40% on a case by case basis.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / सीमा शुल्क का अपवंचन करने के लिए कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही / न्यायिक कार्यवाही

*200. श्री ईश दत्त यादव:
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध सौ करोड़ रुपए से अधिक के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और / अथवा सीमा शुल्क का अपवंचन करने के कारण विभागीय कार्यवाही की जा रही है और अथवा / न्यायिक कार्यवाही की जा रही है;

(ख) किन-किन कम्पनियों के विरुद्ध सी०ई०जी०ए०टी०, उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय के समक्ष पांच वर्ष से अधिक समय से ऐसे मामले लम्बित हैं; और

(ग) सरकार उक्त धनराशि की शीघ्र वसूली के लिए क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री: (श्री पी० चिदम्बरम): (क) से (ग) जिन कंपनियों के विरुद्ध सौ करोड़ रु० से अधिक के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और / या सीमा शुल्क अपवंचन किए जाने के आरोप के आधार पर कार्यवाही आरंभ की गई है, उनके नाम इस प्रकार हैं:—

(1) मैसर्स आई०टी०सी० लि०